



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2014 / पौष 2, 1936

No. 686]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2014/PAUSA 2, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय
(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 910(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (चौथा संशोधन) नियम, 2014 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. शिक्षुता नियम, 1992 के नियम 11 के उप-नियम (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ड.) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(क) स्नातक शिक्षु	4984 रुपए प्रतिमास
(ख) सेंडविच पाठ्यक्रम (डिग्री संस्थाओं से छात्र)	3542 रुपए प्रतिमास
(ग) तकनीकी शिक्षु	3542 रुपए प्रतिमास
(घ) सेंडविच पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थाओं से छात्र)	2890 रुपए प्रतिमास
(ड.) तकनीकी (व्यावसायिक) शिक्षु	2758 रुपए प्रतिमास

[सं. डीजीईटी-4(1)/2012-एपी]

आलोक कुमार, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, तारीख 1 अगस्त, 1992 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 356, तारीख 15 जुलाई, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 680(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2014 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2014

G.S.R. 910(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely:—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Fourth Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Apprenticeship Rules 1992, in rule 11, in sub-rule (2), for clauses (a), (b), (c), (d) and (e) and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

“(a) Graduate Apprentices	Rs. 4984 per month
(b) Sandwich Course (Students from Degree Institutions)	Rs. 3542 per month
(c) Technician Apprentices	Rs. 3542 per month
(d) Sandwich course (Students from Diploma Institutions)	Rs. 2890 per month
(e) Technician (Vocational) Apprentices	Rs. 2758 per month”.

[No. DGET-4(1)/2012-AP]

ALOK KUMAR, Director General/ Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (i), dated the 1st August, 1992 *vide* notification number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and last amended *vide* notification number G.S.R. 680(E), dated the 22nd September, 2014.